न्यायालय अपर सिविल जज(जू0 डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,सहसवान, जनपद बदायूँ।

प्रकीर्ण वाद संख्या- 16/2026

विरलेश बनाम पुष्पा आदि।

धारा-173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना-जरीफनगर, जनपद-बदायूँ।

<u>आदेश</u>

11.03.2026

प्रार्थी/आवेदक **विरलेश पुत्र लखपत सिंह** की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) **बी०एन०एस०एस०** विपक्षीगण **पुष्पा, रामभूप तथा चन्द्रकेश** के विरुद्ध प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर सम्बन्धित थाने में मुकदमा पंजीकृत कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा-173(4) बी०एन०एस०एस०** पर सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं को दिया गया शिकायती प्रार्थना पत्र की प्रति, रजिस्ट्री रसीद एवं अन्य प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के संबंध में स्थानीय थाने से आख्या आहूत की गयी। स्थानीय थाने की आख्यानुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त कथनों के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रियंका श्रीवास्तव एवं एक अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० एवं अन्य ए.आई.आर. 2015 एस.सी.1758** के मामले में स्पष्ट रूप से अभिमत व्यक्त किया गया है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० (**धारा-173(4) बी०एन०एस०एस०)** का निस्तारण करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किया जाना चाहिए।

प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्यों से प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि प्रार्थी स्वयं प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों से परिचित है तथा प्रकरण से सम्बन्धित समस्त गवाहों/साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, जिनकी सत्यता की पुष्टि न्यायालय में की जा सकती है। ऐसी दशा में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पुलिस द्वारा विवेचना कराया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सम्मानित विधि व्यवस्था '**सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2008(1)ए०सी०आर० 170** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार यदि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० **धारा-173(4) बी०एन०एस०एस०** पर समुचित कारणों के आधार पर विवेचना कराया जाना आवश्यक नहीं हो तो; उसे परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों तथा उपरोक्त सम्मानित विधि व्यवस्था के आलोक में न्यायालय के मत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा-173(4) बी०एन०एस०एस०** परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत **धारा-173(4) बी०एन०एस०एस०** परिवाद के रूप में दर्ज हो। परिवादी गवाहान की सूची दाखिल करे। पत्रावली वास्ते बयान धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (2023) दिनांक 25.03.2026 को पेश हो। विपक्षी को नोटिस अविलंब जारी हो।

(अभिषेक कुमार-III)
अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद बदायूँ।
J.O.CODE. UP3780